न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 26 / 2024

प्रविष्टि दिनांक 22.02.2024

1–हजारी पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी पराना तहसील व जिला टोंक राज0

2–खुशीराम पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी पराना तहसील व जिला टोंक राज0

–अपीलांट

बनाम

नायब तहसीलदार टोंक राज0

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार टोंक दिनांक 18.01.2024 मिसल नम्बर 492 / 2024

उपस्थिति : (1) श्री राजेन्द्र कुमार जाट,अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 13.03.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 18.01.2024 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 927 / 1 रकबा 1.5555 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम पराना तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 553 / रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट्स का उक्त भूमि पर गत 55–60 वर्षो से भी अधिक समय से मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि के संबंध तहसीलदार टोंक ने पत्रावली संख्या 67 / 2001 निर्णय दिनांक 05.03.2001 मे अपीलांट्स का कब्जा काश्त मानते हुए नियमन हेतु पत्रावली उपखण्ड अधिकारी टोंक को प्रेषित कि गई है। विवादित आराजी पर अपीलांट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नही है। अपीलांट्स द्वारा उक्त भूमि को पुराने कब्जे के आधार पर उन्हे नियमन करने के लिए भी समय–समय पर सक्षम अधिकारियो के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही निर्णय मे तीन सजाये क्रमशः बेदखल करने,पेनल्टी आरोपित करने,फसल जप्त करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 927/1 मे से रकबा 1.5555 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम पराना तहसील टोक में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार टोंक द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की और से सोराज की तामील हुई है। अपीलान्ट स्वंय न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 927/1 रकबा 0.5555 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम पराना तहसील टोंक पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 403/2023 निर्णय दिनांक 19.01.2023 से भूमि से बेदखल किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट्स का कथन है कि अपीलांट्स का उक्त भूमि पर गत 55–60 वर्षो से भी अधिक समय से मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,उक्त भूमि के संबंध मे तहसीलदार टोंक ने अपनी पत्रावली संख्या 67/2001 निर्णय दिनांक 05.03.2001 से अपीलांट हजारी के नाम उक्त भूमि चरागाह से कम कर नियमन की कार्यवाही हेतु मूल पत्रावली उपखण्ड अधिकारी टोंक को प्रेषित कि गई है। न्यायालय हाजा को उद्घोषणा,खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा के दावे/प्रार्थना पत्रो को सुनने का श्रैत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार नही है। अपीलांट सक्षम न्यायालय मे चारा–जोही करने हेतु स्वंतत्र है। वर्तमान मे भी उक्त आराजी चरागाह भूमि है जो पटवारी कि रिपोर्ट से सिद्व है। अतिक्रमी बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 18.01.2024 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)